

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक

01.10.2020

चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद, 01 अदद अवैध तमंचा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार –

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अब्दुल करीम उर्फ शाहिल पुत्र जियाउल हक उर्फ झैयन नि0 मोहल्ला ठराही बाजार थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा ।
02. सोनू उर्फ पचासा पुत्र अली हसन नि0 मुरुदीनचक थाना दरगाह जनपद बहराइच ।

बरामदगी-

01. 01 अदद चोरी की सुपर स्पलेण्डर मोटरसाइकिल ।
02. 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 399 / 20, धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा ।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 387 / 20, धारा 379.411 भादवि0 थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा ।

संक्षिप्त विवरण-

जनपद गोण्डा मे आगमन के पश्चात पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शैलेश कुमार पाण्डेय ने जनपद मे अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व चोरी की घटनाओं का शीघ्र अनावरण करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को दिए थे ।

दिनांक 16.09.2020 को वादी फिरोज अहमद पुत्र शेर मोहम्मद नि0 बालूगंज कस्बा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा की मोटरसाइकिल मो0 सदर बाजार से चोरी हो गयी थी जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना करनैलगंज में अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें करनैलगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्तगणों को चोरी की उक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया । जामा तलाशी से अभियुक्त अब्दुल करीम के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस भी बरामद हुआ है । पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणों ने उक्त मोटरसाइकिल चोरी करने बात स्वीकार की है । अभियुक्तगणों को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है ।

गिरफ्तारकर्ता टीम –

01. उ0नि0 रणजीत यादव ।

02. उ0नि0 अजय कुमार सिंह ।
03. का0 मिथिलेश सिंह ।
04. का0 शेख अशफाक आलम ।
05. का0 सौरभ सिंह ।